

# डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

संख्या : ल००५०५०/ सम्ब० / 2020/ 1872

दिनांक : ६९/०६/ 2020



सेवा मे०

१. प्र००५०५० अग्रवाल, विभाग-हिन्दी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
२. डॉ०५०५० शुक्ला, विभाग-सारकृत, राजा मोहन पी०जी० कालेज अयोध्या।
३. डॉ०५०५० वंशी० वंशी, प्राचार्य, राजकीय डिप्री कालेज, मुसाफिरखाना, अमेठी।

-आधार्य  
-विशेषज्ञ सदस्य  
-सदस्य/सविव

**विषय-** रामराजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय वैद्यकी, सुलतानपुर को प्रास्नातक स्तर पर पर कला संकाय के अन्तर्गत ए००५० अतिरिक्त हिन्दी संकृत अंग्रेजी गुहविज्ञान एवं उर्दू विषयों में रबिदितप्रैषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2020-21 से सम्बद्धता (अस्थाई) प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्ता महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुरोधानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का काट करें। यही सत्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में गहाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल के सदस्य महाविद्यालय के सम्पूर्ण निर्मित भवन के साथ अपनी फोटो खिंचायेंगे, जिसे इस्ताक्षर सहित निरीक्षण आख्या में संलग्न किया जायेगा। सम्पूर्ण निरीक्षण की निरीक्षक मण्डल के रात्रियों के साथ वीडियोग्राफी करावी जाये, जिसमें महाविद्यालय का पूर्ण भवन बहारीवारी, गेट, शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला कक्षों (उपकरणों सहित) अनुग्रहित शिक्षकों एवं मानकानुसार वाहित अन्य अवस्थाएँ सुविधाओं की रिकॉर्डिंग सम्मिलित हो तथा निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ सम्पूर्ण निरीक्षण की दो सी०५०० भी प्रेषित की जाय। (सूर्योरत के पश्चात किसी भी दशा में निरीक्षण कार्य न किया जाए)

**मिनि विद्युतों पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है—**

१. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति के पंजीकरण एवं वैधता की रिथ्ति।
२. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अग्निलेखों में अंकित होने से संबंधित खतोंगी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलपत्र/उपजिला प्रिविलेजी से प्रमाणित होने की रिथ्ति।
३. महाविद्यालय की भूमि के समरूप गाटों का संयुक्तप्रामाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नवशा मूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की रिथ्ति, महाविद्यालय के नाम राजस्व अग्निलेखों में अंकित भूमि का विवरण गाटाओं एवं शेत्रफल सहित अंकित किया जाए।
४. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं तिथि, अंकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति जिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गाटाओं पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।
५. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवरिथत होने की रिथ्ति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की रिथ्ति।
६. सौसायटी/द्रुस्ट की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा संस्था की विगत तीन वर्षों की सी०५०० द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट अन्यथा की रिथ्ति में तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
७. मानकानुसार रोसायटी/महाविद्यालय के बढ़ा खाते में अद्यतन जमा धनराशि।
८. मानकानुसार प्रामूर्त धनराशि जमा होने की रिथ्ति।
९. प्रबन्ध तत्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित एवं सही है का ५० रुपये के रुपाये पेपर में नोटरी से सत्यप्रित शपथ पत्र मूल रूप में होने की रिथ्ति।
१०. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यूजी०५०ी की धारा २५५ में पंजीकृत होने की रिथ्ति।
११. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की रिथ्ति तथा विगत तीन वर्षों का फैक्ट्राफल।
१२. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थाएँ सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथ्ति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
  - a) महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अंकित की जाय।
  - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं गौटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा बहारीवारी आदि के निर्मित होने की रिथ्ति।
  - c) फौ०वर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की रिथ्ति।
  - d) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की रिथ्ति में सम्बंधित प्रयोगशालाएं, रथाप्रित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयंत्र होने की रिथ्ति (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैरा लाइन, रिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
  - e) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।
१३. याकिंतापाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य अवस्थाएँ सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथ्ति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
  - a) महाविद्यालय में याकिंता पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अंकित की जाय।
  - b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं गौटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा बहारीवारी आदि के निर्मित होने की रिथ्ति।
  - c) फौ०वर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की रिथ्ति।
  - d) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की रिथ्ति में सम्बंधित प्रयोगशालाएं, रथाप्रित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयंत्र होने की रिथ्ति।



# डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

(प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैंस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।

- c) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की सविदा अवधि।
14. महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्यूटर उपकरण, खुपी०एस०, सी०पी०प० आदि के साथ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने की विधि।
15. प्रबन्ध रामिरि के गठन व अनुमोदन की विधि।
16. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, बहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व्याख्यान कक्षों, मुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जित होने का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की विधि।
17. सामूहिक नक्ल का आरोप न होने की विधि(प्रमाण संलग्न करें)।
18. नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य एवं अध्यापकों के बेतन भुगतान बैंक के द्वारा किये जाने की पुष्टि।
19. नेशनल विडिंग कोड-2005 के अनुसार महाविद्यालय का भवन निर्मित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अधिशासी अधिकारी लोक निर्माण विभाग अथवा अधिशासी अधिकारी ग्रामीण अधियन्त्रण रोका का ही एवं अग्निशमन की मानकानुसार व्यवस्था होने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
20. निरीक्षक मण्डल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शासनादेश संख्या के अनुरूप आण्डररेकिंग निरीक्षण आख्या के अन्त में दी जायेगी।
21. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु की गयी स्पष्ट संस्तुति (स्थाई अथवा अस्थाई)।

उपरोक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता (स्थायी) के आवेदन की विधि में अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का सामूहिक उस्ताक्षरित छायाचित्र प्रबन्धक/सचिव के साथ तथा वीडियोग्राफी की सी०पी०प० को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

सन्दर्भित महाविद्यालय की निरीक्षण आख्या शासनादेश संख्या 710/सत्तर-२-2014-16(165)/2012टी०सी० दिनांक 14 नवम्बर 2014 के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवसों की अवधि में निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण न किये जाने की विधि में तत्सम्बन्धी आख्या/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सदस्यों के महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण करने, महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/सहयोग न करने/बाद में निरीक्षण का अनुशेष करने अथवा अन्य तथ्य/तथ्यों का स्पष्ट विवरण निरीक्षण आख्या में अकित दिया जायेगा। निरीक्षण सम्पन्न न हो पाने की विधि में भी निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए और अधिक समय मांगने के सम्बन्ध में लिखित तात्पर्य निरीक्षक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके प्रार्थना पत्र पर निरीक्षक मण्डल द्वारा सहमति की दशा में आगामी तिथि निश्चित की जायेगी। शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2014 में निहित व्यवस्थानुसार सत्र का निर्धारण किया जायेगी।

उल्लेखनीय है कि समयान्तर्गत निरीक्षण का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्यों एवं समयान्तर्गत निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सचिव (हीत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी अथवा नामित क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य) का है। निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने की दशा में शासनादेश संख्या 968/सत्तर-८-2016-100(18)/2016 दिनांक 12 मई 2016 के निर्देशानुसार निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समरत व्यय जिसमें टी०१०/डी०१० एवं अन्य व्यय सम्भालित हैं का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा दहन किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल इस आशय का भी एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षक मण्डल के किसी सदस्य/सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से आमन्य/नियमों के विपरीत कोई धनराशि नहीं ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अभिलेख संलग्न कर) हीत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी/राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नोट:-उल्लिखित बिन्दु संख्या 12 एवं 13 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल के द्वारा ममीरता से निरीक्षण कर पृथक-पृथक प्रविष्टि स्पष्ट रूप से स्वयं अकित की जाये।

कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव सम्बन्धी मारता सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्मित आदेश/एडवाइजरी के पूर्णतः पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण सम्पन्न किया जाएगा यह निरीक्षण कोविड-19 के दृष्टिगत शासन/जिला प्रशासन के आवागमन शर्तों व अन्य प्रतिवर्त्यों के अधीन होगा।

भवदीय,

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि-1. प्रबन्धक/सचिव (रामराजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैद्धा, सुलतानपुर) को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्पर्क रखापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, निरीक्षण मण्डल को निरीक्षण में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करे अन्यथा की विधि में समरत उत्तराधिकृत महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सन्दर्भित सूचना नियमित 03 कार्य दिवसों की अवधि में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी शासन की एडवाइजरी का अनुपालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।

2. प्रोग्राम, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के लोग-इन पर अपलोड करन का कष्ट करें।

*Abd*  
उप-कुलसचिव